मा0 मुख्यमंत्री घोषणा

संख्याः 544 /XXXV-4/16/8(सी0एम0घो0)2015TC

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

विषय– मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा न्याय विभाग हेतु की गयी घोषणा संख्याः 1345/2015 के क्रियान्वयन के लिए चालू वित्तीय वर्ष में ₹10.00 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 847/XXVII(1)/ 2016 दिनांक 26.07.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्याः 1345/2015 (बार एसोसिएशन डीडीहाट में लाइब्रेरी की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।) के क्रियान्वयन हेतु (अनुदान के रूप में) **₹10.00 लाख (₹दस लाख मात्र)** की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके (जिलाधिकारी, पिथौरागढ़–4217) निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्त घोषणान्तर्गत बिलों/बीजकों का सत्यापन आपके द्वारा कर लिये जाने के उपरान्त ही औचित्यपूर्ण धनराशि अवमुक्त की जाय।

(2) स्वीकृत धनराशि अवमुक्त करते समय वित्तीय हस्त–पुस्तिका के खण्ड–5 भाग–1 में उल्लिखित व्यवस्थाओं का अनुपालन करते हुए, यह भी सुनिश्चित किया जाय कि धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन एवं मदों में किया गया हों जिसके लिए धनराशि अवमुक्त की गयी है।

(3) उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं उसके अनुक्रम मे निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः धनराशि स्वीकृति से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा शासन द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को शासन को तत्काल समर्पित कर दिया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 अनुदान संख्या 03 के लेखाशीर्षक "2013–मंत्रिपरिषद–00–105–मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान–05–मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं आदि हेतु एकमुश्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता"मद में सुसंगत प्राथमिक इकाई के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0सं0:–223(P)/XXVII(5)/2016 दिनांक:28 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः –६५५ (1) /XXXV-4/16/8(सी0एम0घो0)2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
7. अनुसचिव (लेखा) आहरण वितहरण अधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तराखण्ड शासन।
8. वित्त अनुभाग–5/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
10. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अर्पण कुमार राजू)
अनु सचिव।